

(99) न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

समक्ष : एस. एस. अली,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1118-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 11-1-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्र०क्र० 343/अ-21/12-13.

भूरेलाल उर्फ भूरेसिंह आदिवासी आत्मज
चंदन सिंह उर्फ चंदू आदिवासी
निवासी ग्राम पारना तहसील जबेरा
जिला दमोह म०प्र०

---- आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार,
शहपुरा जिला जबलपुर म०प्र०
2. अपर कलेक्टर, जबलपुर
3. अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
4. हरिसिंह वल्द कमल सिंह
निवासी ग्राम देवरी (खुलरी) थाना चरगवां,
तहसील पाटन जिला जबलपुर म०प्र०

--- अनावेदकगण

श्री के० के० द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव शर्मा, अनावेदक क्र. 1 लगायत 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ५/४/१९ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 343/अ-21/12-13 में पारित आदेश दिनांक 11-1-18 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर न्यायालय में एक आवेदन पेश कर स्वयं नाम मौजा सकरी प0ह0नं0 71 रा0नि0मं0 03 चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं0 31 एवं 32 रकबा 0.950 एवं 0.950 गैर आदिवासी व्यक्ति अनावेदक क्रं. 4 को विक्रय करने की अनुमति चाही गई। कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी पाटन के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष नहीं बचेगी। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।


3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक तहसील जबेरा जिला दमोह का निवासी है तथा जमीन शहपुरा जिला जबलपुर में स्थित है, आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। वद्ध होने के कारण जिला जबलपुर की कृषि भूमि की देखरेख करने में असुविधा होती है। दमोह से खेती करने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम पारना जिला दमोह में 8.10 एकड़ भूमि है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में स्पष्ट किया था कि आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय कर ग्राम पारना जिला दमोह में मकान बनाना चाहता है। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को अनदेखा किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को आवेदक के हित में बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मौजा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं 0 31 एवं 32 रकबा 0.950 एवं 0.950 गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय की अनुमति चाही गई है। कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा इस प्रकरण में न्यायिक रूप से विचार नहीं किया गया है कि क्योंकि आवेदक ग्राम पारन जिला दमोह निवासी है तथा आवेदित भूमि जबलपुर जिले में स्थित होकर 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास ग्राम पारन जिला दमोह में 3.26 हैक्टर भूमि शेष बच रही है, जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार के प्रतिवेदन पर भी विचार नहीं किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवेदक प्राप्त राशि से ग्राम पारना की भूमि को सिंचित बनाने में उपयोग करेगा। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है भूमि विक्रय से आवेदक को कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है। अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं यह अपील स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा सकरी प0ह0नं0 71 रा0नि0मं0 03 चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं 0 31 एवं 32 रकबा 0.950 एवं 0.950 को अनावेदक क्रमांक 4 गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ दी जाती है कि क्रेता

द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चैक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी।



सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर

✓